संख्या-04/2020(886/20)3/3/35-आ0-2/2019-20 टी0सी0

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ:दिनांक: 17 अप्रैल: 2020

(नियोजन विभाग)

विषय: मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अर्न्तगत प्रावधानित धनराशि के व्यय हेतु बजट आबंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये आय व्ययक के अर्न्तगत प्रावधानित धनराशि रू0 2276.80 (रूपये बाइस करोड़ छियत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या 40 लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -101-योजना आयोग/ योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" एवं लेखाशीर्ष-5475- अन्य सामान्य आार्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय -04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" (मतदेय / भारित) के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

(लाख रूपयें में)

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निर्वतन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि
01	02	03	05
	04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	(राजस्व पक्ष)	
01	वेतन	1650.00	1650.00
03	मॅहगाई भत्ता	412.50	412.50
04	यात्रा व्यय	10.00	10.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06	अन्य भत्ते	12.00	12.00
07	मानदेय	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

08	कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09	विद्युत देय	10.00	10.00
10	जलकर/ जल प्रभार	0.50	0.50
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	7.00	7.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.50	4.50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	7.00	7.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.30	2.30
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	2.00	2.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49	चिकित्सा व्यय	6.00	6.00
51	वर्दी	0.25	0.25
55	मकान किराया भत्ता	110.00	110.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	12.00	12.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.00	6.00
	योग	2270.05	2270.05
	04- मण्डलर पर जिला स्त/ करणनियोजन प्रक्रिया का विकेन्दी	(पूंजीगत पक्ष)	
14	मोटर गाडियों का क्रय	6.75	6.75
	योग-	6.75	6.75
	कुल योग-(राजस्व+पूंजीगत)	2276.80	2276.80

(रूपये बाइस करोड छियत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- वेतन, भत्ते तथा कार्यालय व्यय से संबंधित व्ययों की वित्तीय स्वीकृतियां प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जायेगी।

2- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्राविधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां न जारी की जाय ।

3- विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आंवटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामलों में विभागध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंधन (कैश मैनेजमेंन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा ।

7- उपर्युक्त राजस्व पक्ष का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -101-योजना आयोग/ योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" एवं लेखाशीर्ष-5475- अन्य सामान्य आार्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय -04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

8- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

आर0एन0एस0 यादव

विशेष सचिव ।

संख्या-04/2020(886/20)/3/3/35-आ0-2/2019-20 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 प्रयागराज।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।।
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के संबंध में ।
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9 आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।
10 नियोजन अनुभाग-1
11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दुबे

संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in